म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी–1/निय./15–16/1027 भोपाल दिनांक 09/12/2015

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के द्वारा नियमितीकरण के सबंध में जारी ज्ञाप क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08/02/2008, ज्ञाप दिनांक 06 सितम्बर, 2008, ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के तहत तथा प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर निम्नांकित पात्र एवं उपयुक्त पाये गये दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारियों को आदेश जारी दिनांक से **लेखापाल तृतीय** के पद पर नियमित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान–2009 के वेतनबैंड 5200–20200+ ग्रेड पे 2100/–एवं अन्य भत्तों सहित, जो बोर्ड द्वारा देय है, पर निम्नलिखत शर्तो पर नियमित करते हुए कॉलम क्रमांक–05 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:–

क्र0	नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थी स्थान	नियमितीकरण पर पदस्थी स्थान
01	02	03	04	05
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	सामान्य	कृ0उ0म0स0 देवेन्द्रनगर	कृ0उ0म0स0 देवेन्द्रनगर

शर्तेः–

01. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के ज्ञाप क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 की कण्डिका 5.3 में जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुसार यह नियमितीकरण आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा। पूर्व की सेवा, पेंशन अन्य स्वत्वों के लिए इस हेतु मान्य नहीं होगी।

02. नियमितीकरण हेतु म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं निर्देशों द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत किया जावेगा।

03. नियमितीकरण हेतु दी गई जानकारी के सबंध में किसी प्रकार की असत्य जानकारी देने एवं छुपाने अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये जाने पर नियमितीकरण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

C:\Users\Marawi\Desktop\G.P.M..doc

04. अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थित की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।

05. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोडने पर शर्त (1) के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूल योग्य होगी।

06. यह नियमितीकरण आदेश शैक्षणिक अर्हताओं के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियॉ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है या उसी पुष्टि/सत्यापन नहीं होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूल योग्य होगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।

07 उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

08. उपर्युक्त पदाभिलाषी इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर कार्य पर उपस्थित नहीं होगा तो उसके नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझे जावेंगें।

09. कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटौत्रा की जावेगी।

10. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये की जाती है। परीवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

11. नियुक्ति के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, अंक सूची, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

12. जिन आरक्षित वर्ग के दैनिक वेतनभोगी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियुक्ति दिनांक से छः माह की अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13. परीवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

14. स्थायी सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने सबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह पूर्व लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोडेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किए जाने पर वह ऐसे भंग के लिए प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

15. सबंधित कर्मी को निर्देशित किये जाने पर समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण /कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

16. परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

17. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ सी–15 /2012 /1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में शपथ–पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

18. समय–समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तो सबंधी लिए गए निर्णय बन्धनकारी होगें।

19. बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

C:\Users\Marawi\Desktop\G.P.M..doc

क्रमांक / मंडी क़ार्मिक / बी–1 / निय. / 15–16 / 1028 भोपाल दिनांक 09 / 12 / 2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

01. निज सहायक प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

02. प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड के निज सचिव, मुख्यालय भोपाल।

03. अपर संचालक (वित्त) के निज सहायक, मुख्यालय भोपाल।

04. लेखाधिकारी (लेखा / आडिट) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

05. कार्यालय संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर, को निर्देशित किया जाता है कि सबंधितों की उपस्थिति मान्य किये जाने के पूर्व उनके मूल अभिलेख जैसे–जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता, आदि प्रमाण पत्र को मूल प्रमाण पत्र से परीक्षण किया जाये तथा इन अभिलेखों की एक सत्यप्रति कार्यालय अभिलेख में अनिवार्यतः रखी जाना सुनिश्चित करें और अन्य वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए सबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन से तुरन्त अवगत करायें।

06. अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ...को निर्देशित किया जाता है कि सबंधित के मूल अभिलेख जैसे–जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता, आदि प्रमाण पत्र को मूल प्रमाण पत्र से परीक्षण किया जाये और वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए सबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन से तुरन्त अवगत करायें।

07. श्री ....दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ, कृषि उपज मण्डी समिति .... की ओर पालनार्थ।

08. सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

09. आदेश नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती / गोपनीय चरित्रावली शाखा / लेखा शाखा / मण्डी कार्मिक / स्टोर शाखा / प्रशासन शाखा / कम्प्यूटर शाखा / वाहन शाखा / लायब्रेरी शाखा / प्रशिक्षण शाखा / समस्त शाखा, मण्डी बोर्ड मुख्याल भोपाल।

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.